



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक-05.07.2025

थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 185 ग्राम चरस व अवैध हथियार-कारतूस बरामद ।

दिनांक 04.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है जिसके कब्जे से अवैध 185 ग्राम चरस व 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.औरंगजेब खां उर्फ प्रवेज पुत्र अमानत खां निवासी मौहल्ला आर्यपुरी कस्बा बनत थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

- 1.अवैध 185 ग्राम चरस।
- 2.एक अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-

- 1.मु0अ0सं0 165/2018 धारा 376डी/377/498ए/506 भादवि थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।
- 2.मु0अ0सं0 184/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।
- 3.मु0अ0सं0 139/2021 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।
- 4.मु0अ0सं0 138/2021 धारा 13 जुआँ अधिनियम थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।
- 5.मु0अ0सं0 176/2022 धारा 414/465 भादवि थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।
- 6.मु0अ0सं0 101/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम व 3/25 आयुध अधिनियम थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।



थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 24 पाउच देशी शराब बरामद:-

दिनांक 04.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए गये अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 24 पाउच चेतक देशी शराब खाम(मार्का) मसाला सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. इमरान पुत्र इरशाद निवासी ग्राम सिक्का थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली

बरामदगी का विवरण:-

1. पाउच 24 चेतक देशी शराब खाम मसाला(मार्का)।



थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 390 ग्राम गांजा बरामद:-

दिनांक 04.07.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर को अवैध 390 ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.मोनू पुत्र मौहम्मद कैफ निवासी धनिजा कालोनी थाना पानीपत सदर जनपद पानीपत हरियाणा।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 390 ग्राम गांजा।



थाना झिंझाना पुलिस द्वारा अलग-अलग स्थानों से 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 18 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद:-

दिनांक 04/05.07.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 02 अलग-अलग स्थानों से 02 अभियुक्तगण को अवैध 18 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. विकास कुमार पुत्र सुक्रमपाल निवासी ग्राम उल्हैनी थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. कंवरपाल पुत्र गजा सिंह निवासी ग्राम उल्हैनी थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली।



थाना बाबरी पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 05.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना बाबरी पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.रामबीर पुत्र फतेह सिंह निवासी ग्राम रघुनाथपुर थाना बाबरी जनपद शामली।



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 02 अलग-अलग मामलो में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व 2,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1.-वर्ष 2015 में अभियुक्त हरीश पुत्र सुभाष निवासी मौहल्ला शेखजादगान थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0-405/2015 धारा- 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 05.07.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 5,00/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

2.- वर्ष 2008 में अभियुक्त इरफान पुत्र उमर निवासी ग्राम व थाना बाबरी जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 274/2008 धारा-452/323 भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 05.07.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना शामली द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI